रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012022-233012
CG-DL-E-31012022-233012

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]	नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 2022/माघ 11, 1943
No. 56]	NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 2022/ MAGHA 11, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 56 (अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के खंड 3 के उप-खंड 1 के अनुसरण में तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग) की दिनांक 11 नवंबर, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 832(अ) के अधिक्रमण में केंद्र सरकार एतद्द्वारा दीनदयाल पत्तन हेतु महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल है:

तालिका

क्र.सं.	सरोकारी	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	अध्यक्ष, दीनदयाल पत्तन	1
2.	उपाध्यक्ष, दीनदयाल पत्तन	1
3.	संबंधित राज्य सरकार से सदस्य जिस राज्य में महापत्तन स्थित है।	1

4.	रेल मंत्रालय से सदस्य	1
5.	रक्षा मंत्रालय से सदस्य	1
6.	सीमाशुल्क, राजस्व विभाग से सदस्य	1
7.	स्वतंत्र सदस्य	3
8.	केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाला पदेन सदस्य जोकि निदेशक के स्तर से कम न हो	1
9.	महापत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य	2
	कुल	**12**

2. महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत गठित दीनदयाल पत्तन का महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड, एक शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर वाला एक स्थायी निकाय होगा जिसे, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा। सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल अधिनियम में निर्दिष्ट या आधिकारिक क्षमता में पद धारण करने की अवधि, जो भी पहले हो, के अधीन होगा।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2022

G.S.R. 56 (E).— In pursuance of sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) No.G.S.R.832(E) dated the 11th November, 2019, the Central Government hereby constitutes the Board of Major Port Authority of the Deendayal Port consisting of following members :

TABLE

Sl. No.	**Interests**	**No. of Persons to be appointed**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Chairman, Deendayal Port	1
2.	Deputy Chairman, Deendayal Port	1
3.	Member from respective State Government in which the Major Port is situated	1
4.	Member from Ministry of Railways	1
5.	Member from Ministry of Defence	1
6.	Member from Customs, Department of Revenue	1
7.	Independent Member	3
8.	Ex-officio Member not below the rank of Director to be nominated by Central Government	1
9.	Member representing the interests of the employees of the Major Port Authority	2
	Total	**12**

2. The Board of Major Port Authority for the Deendayal Port constituted under Major Port Authorities Act, 2021 shall be a permanent body having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold or dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and shall, by the said name, sue or be sued. Appointment of members and their tenure will be subject to term as specified in the Act or holding of the post in official capacity, whichever is earlier.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.31 22:37:49 +05'30'